

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-7/नियुक्ति-हिन्दी/पीएससी/2015 दिनांक 18.07.2015 द्वारा श्री राजेश यादव का आर.पी.एस.सी. द्वारा चयन होने के कारण व्याख्याता हिन्दी के पद पर नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जगासरी बडी- हनुमानगढ पदस्थापित किया गया था ।

श्री राजेश यादव द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-7/नियुक्ति-हिन्दी/पीएससी/2015 18.07.2015 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष याचिका संख्या 11861/2016 दायर की गई । जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 02/09/2016 द्वारा उक्त याचिका में पारित निर्णय में याची द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निस्तारण करने की व्यवस्था दी है ।

याचिका के निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया । याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित किया गया कि उनसे कम मैरिट वाले अभ्यर्थियों को गृह जिले में पदस्थापित किया गया है जबकि उन्हें विधवा महिला होने के बावजूद भी गृह जिले से बाहर पदस्थापित किया गया है ।

अभ्यावेदन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग के संबंध में यह निर्णय लिया कि व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) का पद स्टेट सर्विस का होने के कारण उसे राज्य के किसी भी विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जा सकता है । अतः श्री राजेश यादव द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता अध्ययन एवं मनन किया गया । प्रार्थी की इच्छानुसार पदस्थापन दिया जाना संभव नहीं है । अतः उक्त अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है । जिससे सभी संबंधित सूचित हो ।



(बी.एल. स्वर्णकार)

आईएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक- 27/3/17

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/कोर्ट केस/226/2016

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर
4. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. संबंधित शाला-संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-7/नियुक्ति-हिन्दी/पीएससी/2015 दिनांक 18.07.2015 द्वारा अंजू सागंवा का आर.पी.एस.सी. द्वारा चयन होने के कारण व्याख्याता हिन्दी के पद पर नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोमासर-बीकानेर पदस्थापित किया गया था।

अंजू सागंवा द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-7/नियुक्ति-हिन्दी/पीएससी/2015 दिनांक 18.07.2015 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष याचिका संख्या 15062/2016 दायर की गई। जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26/10/2016 द्वारा उक्त याचिका में निर्णय पारित किया।

याचिका के निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अनुरोध किया है याची विकलांग होने के बाउजूद 125 किमी दूर चूरु जिले की सीमा पर पदस्थापन किया है। याची ने बीकानेर शहर के नजदीक पदस्थापन करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

अभ्यावेदन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग के संबंध में यह निर्णय लिया कि व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) का पद स्टेट सर्विस का होने के कारण उसे राज्य के किसी भी विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जा सकता है। प्रार्थी की इच्छानुसार पदस्थापन दिया जाना संभव नहीं है। अतः अंजू सागंवा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है। जिससे सभी संबंधित सूचित हो।

(बी.एल. स्वर्णकार)

आईएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/कोर्ट केस/2015

दिनांक- 27/3/17

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर
4. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली

सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

श्री छोटे लाल शर्मा से.नि. व्या० हिन्दी द्वारा माननीय उच्च न्यायलय जयपुर में याचिका सं० 6018/2016 के द्वारा गुहार की है कि याचि की सेवानिवृति के पश्चात् उसका ग्रेच्युटी एवं पेंशन परिलाभ दिलवाया जाये।

माननीय न्यायलय ने अपने निर्णय दिनांक 11.05.2016 के द्वारा व्यवस्था दी है कि याची अपना अभ्यावेदन विभाग के समक्ष प्रस्तुत करे तथा विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाये।


अतः श्री छोटे लाल ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। प्राप्त अभ्यावेदन के क्रम में यह उल्लेखनीय है कि जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) दौसा के पत्रांक जिशिअ/माध्यमिक/दौसा/सा-5/विधि/छोटेलाल/अव.वाद/1337/2016 दिनांक 16.01.2017 के अनुसार इनके प्रकरण का निस्तारण किया गया है। इनके पेंशन भुगतान आदेश क्रम सं. 1045976 के द्वारा इनके पेंशन परिलाभ दिये जा चुके हैं। सभी संबंधित सूचित हों।


(बी.एल. स्वर्णकार)

आईएस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक- 27/3/17

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/कोर्ट केस/6018/2016
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जोधपुर
4. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-7/नियुक्ति-हिन्दी/पीएससी/2015 दिनांक 18.07.2015 द्वारा श्रीमती अनिता मीणा का आर.पी.एस.सी. द्वारा चयन होने के कारण व्याख्याता हिन्दी के पद पर नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भिवाडी (अलवर) पदस्थापित किया गया था ।

श्रीमती अनिता मीणा द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-7/नियुक्ति-हिन्दी/पीएससी/2015 दिनांक 18.07.2015 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष याचिका संख्या 218/2016 दायर की गई । जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28/09/2016 द्वारा उक्त याचिका में निर्णय पारित किया ।

याचिका के निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उनसे कम मैरिट वाले अभ्यर्थियों को गृह जिला आवंटन करने एवं पूर्व में प्रस्तुत परिवेदना स्वीकार नहीं करने का उल्लेख करते हुए गृह जिले में पदस्थापन करने बाबत निवेदन किया ।

अभ्यावेदन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग के संबंध में यह निर्णय लिया कि व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) का पद स्टेट सर्विस का होने के कारण उसे राज्य के किसी भी विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जा सकता है । दीपक मितल व अन्य का प्रकरण याची के प्रकरण से भिन्न है । प्रार्थी की इच्छानुसार पदस्थापन दिया जाना संभव नहीं है । अतः श्रीमती अनिता मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है । जिससे सभी संबंधित सूचित हो ।



(बी.एल. स्वर्णकार)

आईएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक- 27/3/17

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/कोर्ट केस/2015

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेंषित -

1. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. संबंधित शाला-संस्था प्रधान
4. संबंधित कार्मिक
5. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/पदस्थापन-स्था/2016 दिनांक 20.10.2016 द्वारा महेशचन्द जोशी व्या. हिन्दी (एबीईईओ धाटोल, बांसावाडा) का स्थानान्तरण राउमावि बडलिया- आन्नदपुररी- बांसावाडा किया गया था । महेशचन्द जोशी द्वारा आदेश क्रमांक- शिविरा-मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/पदस्थापन-स्था/2016 दिनांक 20.10.2016 के क्रम में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण राजस्थान, जयपुर में याचिका संख्या संख्या 13002/2016 दायर की गई

श्री महेशचन्द जोशी ने न्यायलय के समक्ष गुहार कि की उसका स्थानान्तरण उसके गृह स्थान से 70 किमी दूर कर दिया गया है । जिसे संशोधित कर मेरे इच्छित स्थान पर किया जाये । माननीय न्यायालय ने याची को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निस्तारण करने का निर्णय दिया है ।

उक्त निर्देशानुसार महेशचन्द जोशी ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया अभ्यावेदन का गहनता पूर्वक अध्ययन किया जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि स्थानान्तरण विभाग की आवश्यकता एवं प्रशासनिक व्यवस्था के तहत किया गया और व्याख्याता का पद राज्य स्तरीय का है अतः पूरे राज्य में इनकी सेवा कही भी ली जा सकती है ।

अतः श्री महेशचन्द जोशी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है । जिससे सभी संबंधित सूचित हो ।

(बी.एल. स्वर्णकार)

आईएस


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक- 20/11/17

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/कोर्ट केस/226/2016

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर
4. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. संबंधित शाला-संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-7/नियुक्ति-हिन्दी/पीएससी/2015 दिनांक 18.07.2015 द्वारा श्री अविनाश पाराशर का आर.पी.एस.सी. द्वारा चयन होने के कारण व्याख्याता हिन्दी के पद पर नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फुलेता-उनिथारा- टोंक पदस्थापित किया गया था ।

श्री अविनाश पाराशर द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-7/नियुक्ति-हिन्दी/पीएससी/2015 18.07.2015 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष याचिका संख्या 1736/2016 दायर की गई । जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 08/02/2016 द्वारा उक्त याचिका में पारित निर्णय में याची द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निस्तारण करने की व्यवस्था दी है ।

याचिका के निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित किया गया कि उनसे कम मैरिट वाले अभ्यर्थियों को गृह जिले में पदस्थापित किया गया है जबकि उन्हें गृह जिले से बाहर पदस्थापित किया गया है ।

अभ्यावेदन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात यह निर्णय लिया कि व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) का पद स्टेट सर्विस का होने के कारण उसे राज्य के किसी भी विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जा सकता है । प्रार्थी की इच्छानुसार पदस्थापन दिया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है । जिससे सभी संबंधित सूचित हो ।



(बी.एल. स्वर्णकार)

आईएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक- 27/3/17

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/कोर्ट केस/226/2016

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

8. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
10. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर
11. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
12. संबंधित शाला-संस्था प्रधान
13. संबंधित कार्मिक
14. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

संदेश गौतम व्या० हिन्दी राउमावि सोमेश्वरपुरी -जयपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायलय जयपुर में याचिका स० 7708/2016 के द्वारा गुहार की है कि याची की नियुक्ति उपरान्त परीवीक्षावधि पूर्ण करने पर स्थाईकरण की दिनांक से बकाया एरियर लाभ दिलवाया जाये ।

माननीय न्यायलय ने अपने निर्णय दिनांक 19.09.2016 के द्वारा व्यवस्था दी है कि याची अपना अभ्यावेदन विभाग के समक्ष प्रस्तुत करे तथा विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाये ।

अतः संदेश गौतम ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । अभ्यावेदन का अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात संदेश गौतम के स्थाईकरण आदेश जारी किये गये एवं संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि एरियर भुगतान की कार्यवाही कर सभी पक्षकारों को सूचित अविलम्ब सूचित हो । इस प्रकार इनके अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है । सभी संबंधित सूचित हों ।



(बी.एल. स्वर्णकार)

आईएस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक- 27/3/17

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/कोर्ट केस/7708/2016

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जोधपुर
4. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. संस्था प्रधान, सोमेश्वरपुरी/बा.बस्सी, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की अक्षरशः पालना कर अविलम्ब सूचित करें।
6. संबंधित कार्मिक
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-7/नियुक्ति-हिन्दी/पीएससी/2015 दिनांक 18.07.2015 द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह चारण का आर.पी.एस.सी. द्वारा चयन होने के कारण व्याख्याता हिन्दी के पद पर नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भूती-जालोर पदस्थापित किया गया था।

श्री सुरेन्द्र सिंह चारण द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-7/नियुक्ति-हिन्दी/पीएससी/2015 18.07.2015 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष याचिका संख्या 13119/2016 दायर की गई। जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11/11/2016 द्वारा उक्त याचिका में पारित निर्णय में याचिका द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निस्तारण करने की व्यवस्था दी है।

याचिका के निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित किया गया कि मेरा पदस्थापन मेरे घर से 142 किमी दूर किया गया है जबकि मेरी मेरीट क्रमांक राज्य में 24वीं है अतः मुझे मेरे घर के पास पदस्थापित किया जाये।

अभ्यावेदन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात यह निर्णय लिया कि व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) का पद स्टेट सर्विस का होने के कारण उसे राज्य के किसी भी विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जा सकता है। प्रार्थी की इच्छानुसार पदस्थापन दिया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है। जिससे सभी संबंधित सूचित हो।

(बी.एल. स्वर्णकार)

आईएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक- 27/3/17

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/कोर्ट केस/226/2016

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर/जोधपुर
4. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. संबंधित शाला-संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-7/नियुक्ति-हिन्दी/पीएससी/2015 दिनांक 18.07.2015 द्वारा श्री किशन चौधरी का आर.पी.एस.सी. द्वारा चयन होने के कारण व्याख्याता हिन्दी के पद पर नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रायली- अलवर पदस्थापित किया गया था ।

श्री किशन चौधरी द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-7/नियुक्ति-हिन्दी/पीएससी/2015 18.07.2015 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष याचिका संख्या 307/2016 दायर की गई । जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18/10/2016 द्वारा उक्त याचिका में पारित निर्णय में याची द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निस्तारण करने की व्यवस्था दी है ।

याचिका के निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित किया गया कि उनसे कम मैरिट वाले अभ्यर्थियों को गृह जिले में पदस्थापित किया गया है जबकि उन्हें गृह जिले से बाहर पदस्थापित किया गया है ।

अभ्यावेदन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात यह निर्णय लिया कि व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) का पद स्टेट सर्विस का होने के कारण उसे राज्य के किसी भी विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जा सकता है । प्रार्थी की इच्छानुसार पदस्थापन दिया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है । जिससे सभी संबंधित सूचित हो ।



(बी.एल. स्वर्णकार)

आईएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक- 27/3/17

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/कोर्ट केस/226/2016

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जोधपुर
4. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. संबंधित शाला-संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/पदस्थापन-स्था/2016 दिनांक 20.10.2016 द्वारा श्रीमती शकुन्तला राठौड व्या. हिन्दी का स्थानान्तरण आयड-उदयपुर से केवडाखुर्द-सराडा-उदयपुर किया गया था । श्रीमती शकुन्तला राठौड द्वारा आदेश क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/पदस्थापन-स्था/2016 दिनांक 20.10.2016 के क्रम में माननीय उच्च न्यायलय, जोधपुर में याचिका संख्या संख्या 13225/2016 दायर की गई

श्रीमती शकुन्तला राठौड ने न्यायलय के समक्ष गुहार कि की उसका स्थानान्तरण एक वर्ष पश्चात ही केवडाखुर्द-उदयपुर किया गया प्रार्थी ने इस स्थानान्तरण के लिए कोई आवेदन भी नहीं किया था अतः याची का स्थानान्तरण निरस्त कर उसे यथावत रखा जाये । माननीय न्यायालय ने याची को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निस्तारण करने का निर्णय दिया है ।

श्रीमती शकुन्तला राठौड ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया अभ्यावेदन का गहनता पूर्वक अध्ययन किया जाकर याची द्वारा प्रस्तुत मांग के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि स्थानान्तरण विभाग की आवश्यकता एवं प्रशासनिक व्यवस्था के तहत किया गया और व्याख्याता का पद राज्य स्तरीय का है अतः पूरे राज्य में इनकी सेवा कही भी ली जा सकती है ।

अतः श्रीमती शकुन्तला राठौड द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है । जिससे सभी संबंधित सूचित हो ।



(बी.एल. स्वर्णकार)

आईएएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक- 27/3/17

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/कोर्ट केस/226/2016

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रोषित -

1. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जोधपुर
4. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. संबंधित शाला-संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर